(86)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 06–पीबीआर/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–9–10 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 210/05–06/अपील.

1– बालेराम उर्फ बलराम (मृतक)
द्वारा वारिसान
शिवचरण, कैलाश, मायाराम
पुत्रगण व. बाले राम
2– परशुराम (मृतक) द्वारा वारिसान
गोपाल, लक्ष्मण पुत्रगण स्व. परशुराम
3– राजाराम पुत्र धनीराम
4– रामकिशन (मृतक) द्वारा वारिसान
हरिसिंह, सिरनाम पुत्रगण स्व. रामकिशन
निवासीगण ग्राम चरख
तहसील भितरवार जिला ग्वालियर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– बाबूलाल पुत्र धनसुन्दर
2– मुन्नालाल पुत्र जगन्नाथ
3– चिरौंजीलाल पुत्र जगन्नाथ
4– कलाबाई पत्नी जगन्नाथ
निवासीगण ग्राम गुप्तापुरा डबरा
जिला ग्वालियर .....अनावेदकगण

श्री एस.एल. धाकड़, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/11/12 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–9–10 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक कमांक 1 मृतक बालेराम द्वारा तहसीलदार, भितरवार के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके द्वारा ग्राम चरखा स्थित भूमि सर्वे कमांक 611 पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय की गई है, परन्तु मौके पर सर्वे कमांक 598 पर कब्जा है । विकय पत्र में त्रुटिवश गलत सर्वे नम्बर अंकित हो गया है, अतएव सर्वे कमांक 598 की भूमि पर उसका नामान्तरण स्वीकृत किया जाय । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 17/अ–6/2000–01 दर्ज कर दिनांक 2–8–2001 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, डबरा के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 29–12–05 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 29–9–10 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगगण द्वारा वास्तव में सर्वे कमांक 598 ही कय की गई थी, परन्तु त्रुटिवश विकय पत्र में सर्वे कमांक 611 अंकित हो गया है, जबकि आवेदकगण सर्वे कमांक 598 पर ही काबिज होकर कृषि कार्य कर रहे हैं । इस सम्बन्ध में आवेदकगण की ओर से ग्राम पंचायत का पंचनामा, पटवारी की रिपोर्ट एवं साक्ष्य प्रस्तुत की गई थी, जिसमें सर्वे कमांक 598 पर ही आवेदकगण का कब्जा पाया गया था, इसके बावजूद भी तहसीलदार द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है और तहसीलदार के विधि विपरीत आदेश की पुष्टि करने में दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा त्रुटि की गई है ।

4/ अनावेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि आवेदकगण के पक्ष में निष्पादित विकय पत्र में उल्लिखित सर्वे नम्बर, प्रश्नाधीन भूमि के सर्वे नम्बर से भिन्न है, केवल प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का कब्जा है और कब्जे के आधार पर नामान्तरण किये जाने का कोई प्रावधान संहिता में नहीं है और न ही इस प्रकार

के कोई अधिकार तहसील न्यायालय को प्राप्त है । अतः तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है और तहसील न्यायालय के आदेश की पुष्टि करने में दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–9–10 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर